

कर राजस्व

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक	बजट	संशोधित	बजट
			2010-2011	2011-2012	2011-2012	2012-2013
कर राजस्व						
1. निगम कर						
1.01	संग्रह	0020	280267.60	333525.00	303507.00	345823.00
1.02	अधिभार	0020	8218.40	15009.00	13658.00	15562.00
1.03	शिक्षा उपकर	0020	8627.57	10456.00	9515.00	10842.00
1.04	विविध प्राप्तियां	0020	1574.32	1000.00	1000.00	1000.00
जोड़-निगम कर			298687.89	359990.00	327680.00	373227.00
2. आय पर कर						
2.01	संग्रह	0021	132820.78	158981.00	161139.00	183678.00
2.02	अधिभार	0021	373.19	50.00	50.00	...
2.03	शिक्षा उपकर	0021	5125.05	4995.00	4990.00	5688.00
2.04	विविध प्राप्तियां	0021	750.00	500.00	500.00	500.00
2.05	बैंक कारोबार कर (बीसीटीटी)	0036	158.12	...	...	...
2.06	प्रतिभूति कारोबार कर	0034	7155.42	7500.00	5200.00	5920.00
2.07	होटल प्राप्तियां कर	0023	3.18	...	...	...
2.08	ब्याज कर	0024	3.74	...	...	...
2.09	अनुषंगी लाभ कर	0026	167.98	...	...	...
2.10	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0028	29.08	...	...	...
जोड़-आय पर कर			146586.54	172026.00	171879.00	195786.00
3. धन कर						
3.01	संपदा शुल्क	0031	0.24	...	...	...
3.02	धन पर कर	0032	686.83	635.00	1092.00	1244.00
3.03	उपहार कर	0033	0.38	...	...	...
जोड़-धन कर			687.45	635.00	1092.00	1244.00
4. सीमा शुल्क						
4.01	आयात शुल्क					
4.01.01	बुनियादी शुल्क	0037	46982.97	59365.00	47130.00	55610.00
4.01.02	सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	0037	52762.97	59235.00	65310.00	83700.00
4.01.03	विशेष सीवी ड्यूटी	0037	18288.89	20250.00	22814.00	28200.00
4.01.04	मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	0037	1259.58	...	170.00	...
4.01.05	हाई स्पीड डीजल ऑयल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	0037	1382.95	...	220.00	...
4.01.06	मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क	0037	2588.35	...	510.00	...
4.01.07	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0037	1121.49	1280.00	1080.00	1300.00
4.01.08	शिक्षा उपकर	0037	3130.76	3400.00	3620.00	4200.00
4.01.09	माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	1595.81	1745.00	1881.00	2100.00
जोड़-आयात शुल्क			129113.77	145275.00	142735.00	175110.00
4.02	निर्यात शुल्क	0037	3140.01	2625.00	6000.00	6500.00
4.03	निर्यात पर उपकर	0037	132.74	195.00	65.00	70.00
4.04	अन्य प्राप्तियां	0037	3425.99	3605.00	4200.00	5014.00
जोड़-सीमा शुल्क			135812.51	151700.00	153000.00	186694.00
5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क						
5.01	बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर को छोड़कर	0038	87943.89	108443.00	93425.00	120130.00
5.02	मोटर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	3417.12	3070.00	3757.00	4150.00
5.03	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	13561.81	14630.00	14530.00	15800.00
5.04	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	2813.34	3330.00	2918.00	3500.00
5.05	मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	10206.80	11975.00	11157.00	13400.00

		(₹ करोड़)				
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011	बजट 2011-2012	संशोधित 2011-2012	बजट 2012-2013	
5.06 पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार	0038	1065.64	1285.00	1076.00	1250.00	
5.07 राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर						
5.07.01 शिक्षा उपकर	0038	3072.70	3475.00	3237.00	4000.00	
5.07.02 माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	1545.58	1810.00	1610.00	2000.00	
5.07.03 अन्य	0038	12193.30	11190.00	14290.00	24770.00	
5.07.04 स्वच्छ ऊर्जा उपकर	0038	1066.46	3480.00	3249.40	3864.20	
जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर		17878.04	19955.00	22386.40	34634.20	
5.08 अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर						
5.08.01 कोयला और कोक	0038	520.96	575.00	540.00	560.00	
5.08.02 नमक	0038	3.39	3.66	3.69	3.75	
5.08.03 खड़	0038	101.18	110.00	110.00	110.00	
5.08.04 माइका	0038	1.95	2.00	2.00	2.15	
5.08.05 लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क	0038	12.49	12.00	12.00	13.56	
5.08.06 लाइम स्टोन व डोलोमाइट	0038	11.89	5.00	5.00	13.05	
5.08.07 सिने कामगार	0038	1.73	1.50	1.50	1.63	
5.08.08 प्रदूषण (वायु एवं जल) निवारण एवं नियंत्रण	0045	235.94	250.00	236.00	250.00	
5.08.08.01 घटाइए - व्यय में से प्राप्तियां	0045	-235.94	-250.00	-236.00	-250.00	
निवल		...	...	...	...	
5.08.09 अनुसंधान और विकास	0045	592.47	561.00	616.00	616.00	
5.08.10 बीड़ी फण्ड	0038	160.00	150.00	150.00	160.00	
5.08.11 अन्य लेखाओं के अन्तर्गत उपकर	0045	5.63	5.00	5.00	5.00	
5.08.12 कपड़ा तथा कपड़ा मशीनरी पर उपकर संग्रह	0038	0.71	2.50	1.00	1.00	
निवल-अन्य मंत्रालयों द्वारा प्रशासित उपकर		1412.40	1427.66	1446.19	1486.14	
निवल - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		138299.04	164115.66	150695.59	194350.34	
6. सेवा कर						
6.01 संग्रहण	0044	68947.45	79611.65	92392.00	120350.00	
6.02 शिक्षा उपकर	0044	1378.95	1592.23	1807.00	2450.00	
6.03 माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर	0044	689.47	796.12	801.00	1200.00	
जोड़-सेवा कर		71015.87	82000.00	95000.00	124000.00	
7. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क						
7.01 बिक्री, व्यापार आदि पर कर	0040	0.23	...	...	...	
7.02 अन्य कर	0045	...	...	...	...	
जोड़-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क		0.23	...	...	...	
8. संघ राज्य क्षेत्रों के कर						
8.01 भू-राजस्व	0710	1.94	5.59	3.81	3.45	
8.02 स्टाम्प तथा पंजीकरण	0710	154.54	124.73	133.73	132.73	
8.03 राज्य उत्पाद शुल्क	0710	288.26	271.00	364.19	374.00	
8.04 बिक्री कर	0710	1432.61	1458.25	1654.06	1656.06	
8.05 वाहनों पर कर	0710	72.11	75.69	127.80	110.80	
8.06 वस्तुओं तथा यात्रियों पर कर	0710	6.59	4.50	5.90	5.90	
8.07 विद्युत पर कर तथा शुल्क	0710	13.69	15.00	15.00	15.00	
8.08 अन्य कर तथा शुल्क	0710	12.45	18.46	12.52	12.51	
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर		1982.19	1973.22	2317.01	2310.45	
जोड़ - राजस्व प्राप्तियां		793071.72	932439.88	901663.60	1077611.79	
9. घटाइए-राष्ट्रीय आपदा निधि को अंतरित एनसीसीडी	0021	-3900.01	-4525.00	-3998.00	-4620.00	
10. घटाएं - राज्यों का हिस्सा	0710	-219302.81	-263457.74	-253022.44	-301920.76	
11. घटाइए - वास्तविक 2010-11 के अनुसार राज्य-अंश समायोजन	0710	...	...	-2391.19	...	
कुल जोड़		569868.90	664457.14	642251.97	771071.03	

व्यापक श्रेणियों द्वारा संक्षिप्त रूप में प्रयुक्त उपर्युक्त विवरण वर्ष 2012-13 के लिए कर प्राप्तियों के अनुमान हैं। इन अनुमानों में बजट प्रस्तावों के प्रभाव भी शामिल हैं। बजट तथा संशोधित अनुमानों 2011-12 के बीच तथा सं. अ. 2011-12 और वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों के बीच के अंतरों को स्पष्ट करते हुए, संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ-साथ खंडों तथा लेखा शीर्षों के तहत और ब्यौरे नीचे दिए गए हैं। संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 जो 1.4.1996 के भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया था, के अनुसार, अनुच्छेद 268 तथा 269 में वर्णित शुल्कों तथा करों के सिवाय, संघीय सूची में निर्दिष्ट सभी करों, अनुच्छेद 271 में वर्णित करों तथा शुल्कों पर अधिभार, तथा संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अन्तर्गत किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाए गए किसी भी उपकर को भारत सरकार द्वारा ही लगाया तथा वसूला जाएगा और उनका संवितरण संघ तथा राज्यों के बीच वित्त आयोग द्वारा यथासंस्तुत तथा राष्ट्रपति द्वारा यथाविनिर्दिष्ट विधि से ही किया जाएगा। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद वर्ष 2010-2015 की अवधि के लिए केंद्र तथा राज्यों के बीच संवितरण के तौर-तरीकों को स्वीकर कर लिया गया है।

- 1. निगम कर :** यह कर कम्पनियों की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लगाया जाता है। 2011-12 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान, 359990 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 327680 करोड़ रुपए है। 2012-13 का बजट अनुमान 373227 करोड़ रुपए है।
 - 2. आयकर :** यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कम्पनियों के भिन्न, व्यक्तियों, फर्मों आदि पर लगाया जाता है। इस शीर्ष में अन्य कर, मुख्यतया प्रतिभूति लेन-देन कर शामिल है जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में स्टॉक एक्सचेंजों में और म्यूचुअल फंडों की यूनितों में किए गए लेन-देन पर लगाया जाता है। 2011-2012 की आय पर करों का संशोधित अनुमान, 172026 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 171879 करोड़ रुपए है। 2012-13 के लिए बजट अनुमान 195786 करोड़ रुपए है।
 - 3. धन कर :** धन कर अधिनियम, 1957 के तहत यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट परिसम्पतियों पर लगाया जाता है। 2011-2012 के लिए धन कर का संशोधित अनुमान, 635 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 1092 करोड़ रुपए है। 2012-2013 का बजट अनुमान 1244 करोड़ रुपए है।
 - 4. सीमा शुल्क :** 2011-2012 के लिए सीमा शुल्कों का संशोधित अनुमान, 151700 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 153000 करोड़ रुपए है। 2012-2013 का बजट अनुमान 186694 करोड़ रुपए है।
 - 4.01.01 बुनियादी शुल्क :** सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क का बुनियादी शुल्क आयातित माल पर लगाया जाता है।
 - 4.01.02 सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी) :** सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत, सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क ऐसे घरेलू विनिर्मित माल पर लेवी योग्य उत्पाद शुल्क के समतुल्य लेवी योग्य होता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की औसत सेनबैट दर 27.02.2010 से 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है।
 - 4.01.03 विशेष सीवी शुल्क :** सभी आयातित माल पर राज्य वैट, केन्द्रीय बिक्री कर आदि जैसे घरेलू करों की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए विशेष सीवी शुल्क कुल अपवादों के साथ 4 प्रतिशत की दर से उद्ग्रहणीय है।
 - 4.01.04 मोटर स्पिरिट पर सीमाशुल्क का अतिरिक्त शुल्क :** मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2), 1998 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। तथापि, आयातों को इस उपकर से छूट है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में जाना जाता है।
 - 4.01.05 हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क :** हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। तथापि, आयातों को इस उपकर से छूट है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में जाना जाता है।
 - 4.01.06 मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क :** मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। तथापि, आयातों को इस उपकर से छूट है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।
 - 4.01.07 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क :** वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 134 के तहत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क आयातित पेट्रोलियम कच्चे तेल पर लगाया जाता था। बाद में, यह कर मोटर कारों, पेट्रोलियम कूड, मोबाइल फोन आदि जैसी कतिपय विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर भी लगा दिया गया। बजट 2008-09 से राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क पोलियस्टर फिलामेंट यार्न से हटा दिया गया है और मोबाइल फोनों पर 1 प्रतिशत की दर से लगा दिया गया है।
 - 4.01.08 शिक्षा उपकर :** कुल सीमा शुल्क पर 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर उद्ग्रहणीय है (सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1985 की धारा 8ख और 8ग धारा 9 के तहत सीवीडी और धारा 9क के तहत डम्पिंग-रोधी शुल्क के तहत संरक्षण शुल्क को छोड़कर)। अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धताओं के तहत आबद्ध दरों पर सीमा शुल्क लगाई जाने वाली वस्तुओं को इस उपकर से मुक्त रखा गया है।
 - 4.01.09 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर :** कुल सीमा शुल्कों पर 1 प्रतिशत की दर से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर उद्ग्रहणीय है।
 - 4.02 निर्यात शुल्क :** लोहा और क्रोमियम के अयस्कों और सान्द्रणों पर निर्यात शुल्क लगाया जाता है।
- बकाया संग्रहण :** 2010-11 में बकाया सीमा-शुल्कों का संग्रहण 1409.77 करोड़ रुपए रखा। 2012-13 के लिए बकाया सीमा शुल्कों के संग्रहण के लिए 3500 करोड़ रुपए का लक्ष्य है।
- 5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क :** 2011-2012 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संशोधित अनुमान, 164115.66 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 150695.59 करोड़ रुपए है। 2012-13 का बजट अनुमान 194350.34 करोड़ रुपए है।
 - 5.01 बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क :** केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के तहत बुनियादी उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। 8 प्रतिशत से औसत सेनबैट दर को 27.02.2010 से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
 - 5.02 मोटर स्पिरिट पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क :** मोटर स्पिरिट पर उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2) 1998 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर कहा जाता है।
 - 5.03 हाई स्पीड डीजल ऑयल पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क :** हाई स्पीड डीजल ऑयल पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 के तहत उद्ग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर कहा जाता है।

5.04 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) : राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क पान मसाला तथा कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर वित्त विधेयक, 2001 के तहत लगाया जाता था। वित्त विधेयक, 2003 में उस लेवी को : (क) पोलिस्टर फिलामेंट यार्न, मोटर कार, दुपहिया तथा बहुउपयोगी वाहन पर 1 प्रतिशत की दर से, और (ख) कच्चे पेट्रोलियम तेल पर 50 रुपए प्रति मीट्रिक टन से लगाया जा रहा है।

5.05 मोटर स्प्रिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क : यह वित्त विधेयक, 2002 के तहत लगाया है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।

5.06 पान मसाला तथा तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार : सिगरेट, पान मसाला, तथा कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर बजट 2005-06 में विनिर्दिष्ट दरों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया। बीड़ी पर यह नहीं लगाया जाता है।

5.07.01 शिक्षा उपकर : यह कुल उत्पाद शुल्कों के 2 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता है।

5.07.02 माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर : यह कुल उत्पाद शुल्कों के 1 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता है।

बकाया संग्रहण : 2010-11 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का बकाया संग्रहण 1851.52 करोड़ रुपए रहा। 2012-13 के लिए इसके संग्रहण का बजट अनुमान 3000 करोड़ रुपए का है।

5.07.04 स्वच्छ ऊर्जा उपकर : वित्त विधेयक 2010 की धारा 83 के अन्तर्गत, यह भारत में उत्पादित कोयला, लिग्नाइट तथा पीट पर 50 रुपए प्रतिटन की दर पर लगाया जाता है। यह उपकर 01-07-2010 से प्रभावी है तथा इसे उत्पाद शुल्क के बतौर संग्रहित किया जाएगा।

6. सेवा कर : वर्ष 2011-12 हेतु सेवा कर का संशोधित अनुमान, 82000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में, 95000 करोड़ रुपए है। 2012-13 के लिए बजट अनुमान 124000 करोड़ रुपए है। कुल सेवा कर पर शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर क्रमशः 2 प्रतिशत और 1 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता है। 2010-11 में सेवाकर का बकाया संग्रहण 2803.71 करोड़ रुपए शामिल है। 2012-13 के लिए सेवा कर के बकाए संग्रहण का बजट अनुमान 1900 करोड़ रुपए रखा गया है।

8. संघ राज्य क्षेत्रों के कर : 2011-12 के लिए संघ राज्य क्षेत्रों के कर का संशोधित अनुमान 2317.01 करोड़ रुपए है जबकि बजट अनुमान 1973.22 करोड़ रुपए था। 2012-13 के लिए बजट अनुमान 2310.45 करोड़ रुपए है।

9. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि में अन्तर्गत एनसीसीडी : वर्ष 2011-12 के लिए इस निधि में अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क के संशोधित अनुमान 3998 करोड़ रुपए हैं जबकि बजट अनुमान 4525 करोड़ रुपए था। 2012-13 के लिए बजट अनुमान 4620 करोड़ रुपए है।

10. राज्यों का हिस्सा : 2011-12 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से का संशोधित अनुमान, 263457.74 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में, 255413.63 करोड़ रुपए है। इसमें करों और शुल्कों के संशोधित और वास्तविक संग्रहण के अनुसार 2010-11 में जारी की गयी राशियों के देय अंतर की 2391.19 करोड़ रुपए की राशि सम्मिलित है। 2012-2013 हेतु बजट अनुमान 301920.76 करोड़ रुपए है।

कर राजस्व का बकाया : राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम, 2004 (एफआरबीएम नियम) के नियम 6 के अनुपालन में, कर राजस्व सम्बन्धी प्रकटन विवरण दिखाया गया है परन्तु प्रमुख करों के सम्बन्ध जो अनुबन्ध 11 में दर्शित है, में उसे वसूल नहीं किया गया।